संख्या- 51/2020/669/71-1-2020-जी-94/2018टी0सी0-2

प्रेषक

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 19 मार्च, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, झॉसी हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/758, दिनॉक 29-02-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में मेडिकल कालेज, झॉसी में मानक मद-01-वेतन में रू0 320.00 लाख तथा मानक मद-09-विद्युत देय में रू0 300.00 लाख कुल रू0 620.00 लाख की बचत को मेडिकल कालेज, झॉसी में मानक मद-21-छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन में रू0 100.00 लाख तथा मानक मद-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष में रू0 520.00 लाख कुल रू0 620.00 लाख (रू0 छ: करोड़ बीस लाख मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही हे, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर लिया जायेगा।

6- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन वेतनादि सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-312/दस-2020, दिनॉक 16 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:- 51/2020/669(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, झाँसी।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।